



डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक/प्रा/३५२/२०२०
दिनांक १३.१०.२०२०

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

विषय:-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन कराने एवं दिव्यांगजन के लिये सुगम्य वातावरण एवं पहुंच का निर्माण कराये जाने विषयक शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।


महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ०शि०) उ०प्र० शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्र संख्या डिग्री विकास/747-48/2020-21 दिनांक 09.09.2020 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के विभिन्न धाराओं का अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धाराओं 03,04,06,07,16,17,19,20,21,22,23,28,29,30,31,32,33,34,38,39,44,45,47,76,81,89,90,91,92,93,94 एवं 95 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन कराते हुए सुनिश्चित अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे निदेशक (उ०शि०) उ०प्र० को तदनुसार सूचित कराया जा सके।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय


कुलसचिव


12.10.2020

प्रतिलिपि:-

1. शिक्षा निदेशक (उ०शि०) उ०प्र०, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज।

कुलसचिव